राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांकः 17 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2013 / कट फाई. / .   दिनांकः

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, बड़ा नया गांव लघु सिचाई परियोंजना बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम सियाना की निजी भूमि में स्थित मकानों की अवाप्ति किया जाना आवश्यक हैं। यह विज्ञप्ति किया जाता हैं कि नीचे वर्णित इलाको की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

बड़ा नया गांव लघु सिचाई परियोंजना बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम सियाना की निजी भूमि में स्थित मकानों के निमित्त अधिनियम के प्रावधानों की धारा–11 व 12 के **अनुसार उन सब** हितकारियो के निमित्त जारी की जाती हैं जिनका इससे संबध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों **को** जिनका इससे सम्बन्ध हैं, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में **प्रवेश करने** सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती हैं, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित **मे** भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डोली को प्रस्तुत कर सकता हैं। विवरण सलंग्न **सूची के** अनुसार

सलंग्नः–सूची

आज्ञा से,

ह०

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावि.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः [illegible] / भू0अ0 / ज0सं0 / 2013 / कट फाई. / 2332–2335   दिनांकः 28/5/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– [illegible] अभियन्ता,जल संसाधन संभाग कोटा।
2– निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री / अधीक्षक,राजकीय मुद्रण,लय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र [illegible] कराने की व्यवस्था करावें।
3– अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बून्दी को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक [illegible] पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
4– भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डोली को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति [illegible] [illegible] सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक [illegible] हेतु।

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावि.सहायक

Scanned by CamScanner

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 12 के अन्तर्गत

बड़ा नया गाँव लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि में स्थित मकानों की सूची

ग्राम – सियाना		तहसील – हिण्डोली		जिला – बून्दी	
क्र.सं.	मकान नं.	मकान मालिक का नाम	मकान की स्थिति	खसरा नं.	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6
1	32	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री किशोर जाति दरोगा	कच्चा	448	बारानी 2
2	33	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री किशोर जाति दरोगा	पक्का	448	बारानी 2
3	46	श्री रामलाल पुत्र श्री विसन लाल जाति खारोल	कच्चा	275	चाही 3
4	47	श्री हेमराज पुत्र श्री रामनारायण जाति खारोल	कच्चा	275	चाही 3
5	48	श्री देवलाल पुत्र श्री बजरंग लाल जाति प्रजापति	पक्का	275	चाही 3
6	49	श्री राधाकिशन पुत्र श्री बजरंग लाल जाति प्रजापति	कच्चा	275	चाही 3
7	50	श्री मोहनलाल पुत्र श्री धूला जाति प्रजापति	पक्का	274	गै.मु.चाह
8	77	श्री बाबूलाल पुत्र श्री कल्याण जी, लाला पुत्र श्री बाबूलाल जाति दरोगा	पक्का	443	बारानी 2
9	78	श्री प्रभूलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति दरोगा	पक्का	443	बारानी 2
10	79	श्री मदनलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति दरोगा	पक्का	443	बारानी 2
11	H	श्रीमती हेमकंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत ग्रा सियाणा	पक्का	29-30	बंजड बारानी 3

(आर.के. पाटनी)
सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड हिण्डोली

(सिराज अहमद अन्सारी)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, बून्दी

प्रति हस्ताक्षरित

उप शासन सचिव अधीक्षण अभियन्ता।
... म.स. वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर

अधीक्षण अभियन्ता
प० प्र० सा० एवं ज० स...
कोटा

Scanned by CamScanner

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 12 के अन्तर्गत

बड़ा नया गाँव लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि में स्थित मकानों की सूची

इकजाई गोश्वारा

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	निजी मकानों की संख्या	अन्य सार्वजनिक एवं सरकारी भवनों की संख्या	कुल मकान/भवन
1	सियाना	हिण्डोली	11	0	11
		कुल योग	11	0	11

(आर.के. पाटनी)
सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड हिण्डोली

(सिराज अहमद अन्सारी)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, बून्दी

अधीक्षण अभियन्ता
प० प्र० सा० एवं ज० सा० बांध
कोटा

प्रति हस्ताक्षरित

जितेन्द्र दीक्षित
उप शासन सचिव अधीक्षण अभियन्ता
म.स.व्यास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner